

बिहार सरकार
वाणिज्य—कर विभाग

—: अधिसूचना :—

संचिका संख्या—6/अ0—03—07/2019

पटना, दिनांक:—

श्री सुकेश कुमार, राज्य—कर संयुक्त आयुक्त (53—55वीं बैच), विशेष अंचल, पटना को बिहार सेवा संहिता के नियम 227, 230 एवं 248 के तहत दिनांक 21.05.2026 से 10.06.2026 तक कुल 21 (इक्कीस) दिनों का उपार्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

उक्त अवकाश की स्वीकृति के उपरान्त श्री कुमार के अवकाश लेखा में (300—21=279) (दो सौ उनासी) दिन उपार्जित अवकाश शेष रह जायेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से
ह0/—

(विजय कुमार)
सरकार के उप सचिव,
वाणिज्य—कर विभाग
बिहार, पटना।

ज्ञापांक:—6/अ0—03—07/2019 1622

पटना, दिनांक:—11/5/26

प्रतिलिपि:—प्रभारी पदाधिकारी वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, समाहरणालय कोषागार, पटना/राज्य—कर संयुक्त आयुक्त (प्रभारी), विशेष अंचल, पटना/नोडल पदाधिकारी, एच0 आर0 एम0 एस0, वाणिज्य—कर विभाग, बिहार, पटना/लेखा शाखा, वाणिज्य—कर विभाग, बिहार, पटना/आई0 टी0 मैनेजर, वाणिज्य—कर विभाग, बिहार, पटना एवं श्री सुकेश कुमार, राज्य—कर संयुक्त आयुक्त (53—55वीं बैच), विशेष अंचल, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के उप सचिव,
वाणिज्य—कर विभाग
बिहार, पटना।